



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052023-245890
CG-DL-E-16052023-245890

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2096]
No. 2096]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 2023/वैशाख 26, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 2023/VAISAKHA 26, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2023

आय-कर

का.आ. 2189(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194 क की उपधारा (3) के खंड (i) के उपखंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करती है कि सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाई गई और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 237(अ) तारीख 31 मार्च, 2023 द्वारा अधिसूचित स्कीम अर्थात् महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए विरचित स्कीम होगी।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 27/2023/फा.सं. 370142/11/2023-टीपीएल]

मृणालिनी कौर सप्रा, निदेशक